भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 294

दिनांक 22 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी

294 श्री शुभाशीष खुटियाः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकारी अस्पतालों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, अर्हता प्राप्त डॉक्टरों और पराचिकित्सकों का अभाव है;

(ख) ऐसे क्षेत्रों में वर्तमान डॉक्टर-रोगी अनुपात क्या है; और

(ग) रिक्तियों को भरने के लिए क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों और पराचिकित्सकों का ब्यौरा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) पर निम्नानुसार उपलब्ध है:

https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Health%20Dynamics%20of%20India%20%28Infrastructure%20%26%20Human%20Resources%29%202022-23_RE%20%281%29.pdf

(ख): अब तक, 13,86,150 पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टर हैं। आयुष मंत्रालय ने सूचित किया है कि आयुष चिकित्सा पद्धति में 7,51,768 पंजीकृत चिकित्सक हैं। यह मानते हुए कि एलोपैथिक और आयुष, दोनों पद्धतियों में 80% पंजीकृत चिकित्सक उपलब्ध हैं, देश में चिकित्सक-जनसंख्या का अनुपात 1:811 होने का अनुमान है।

(ग): देश में डॉक्टर/चिकित्सा पेशेवरों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों/कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- जिला/रेफरल अस्पताल का उन्नयन करके नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना जिसके अंतर्गत 157 अनुमोदित मेडिकल कालेजों में से 131 नए मेडिकल कॉलेज पहले से ही कार्य कर रहे हैं।

- एमबीबीएस और स्नातकोत्तर सीटों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के मौजूदा मेडिकल कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण/उन्नयन हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना।

- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) योजना के सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉकों के निर्माण द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन के तहत, कुल 75 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं, जिनमें से 71 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

- केन्द्रीय क्षेत्रक परियोजना के तहत नए एम्स की स्थापना के लिए 22 एम्स अनुमोदित किए गए हैं। इनमें से 19 में स्नातक पाठ्यक्रम शुरू कर हो गए हैं।

- संकाय की कमी को पूरा करने के लिए संकाय के रूप में नियुक्ति हेतु डीएनबी अर्हता को मान्यता दी गई है।

- मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों/डीन/प्रिंसिपल/निदेशक के पदों पर नियुक्ति/विस्तार/पुन: रोजगार के लिए आयु सीमा को 70 वर्ष तक बढ़ाया जाना।

राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी स्वास्थ्य परिचर्या कर्मियों की रिक्तियों को भरने सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने से संबंधित है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्यों द्वारा उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में दी गई आवश्यकताओं के आधार पर और उनके समग्र संसाधन के भीतर संविदात्मक आधार पर स्वास्थ्य मानव संसाधन के संवर्धन सहित उनकी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

एनएचएम के तहत देश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सीय सेवा प्रदान करने के लिए डॉक्टरों और पराचिकित्सकों को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित प्रकार के प्रोत्साहन और मानदेय प्रदान किए जाते हैं:

- ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में परिचर्या प्रदान करने के लिए विशेषज्ञ डाक्टरों को दुर्गम क्षेत्र भत्ता देना ताकि वे ऐसे क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में सेवा प्रदान को आकर्षक समझे।

- ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सिजेरियन सेक्शन आयोजित करने के लिए विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञों/आपातकालीन प्रसूति देखभाल (ईएमओसी), बाल रोग विशेषज्ञों और एनेस्थेटिस्ट/लाइफ सेविंग एनेस्थीसिया कौशल (एलएसएएस) प्रशिक्षित डॉक्टरों को मानदेय भी प्रदान किया जाता है।

- प्रोत्साहन जैसे डॉक्टरों के लिए विशेष प्रोत्साहन, समय पर प्रसव-पूर्व जांच और रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने के लिए सहायक नर्स और मिड्वाइफ (एएनएम) को प्रोत्साहन, किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य संबंधी कार्यकलाप करने के लिए प्रोत्साहन।

- राज्यों को "यू कोट वी पे" लचीले जैसी कार्यनीतियों में विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए बातचीत से तय किए जाने वाले वेतन पेशकश करने की भी अनुमति है।

- एनएचएम के तहत दुर्गम क्षेत्रों में सेवारत स्टाफ के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में नामांकन में वरीयता देने और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास व्यवस्था में सुधार जैसे गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन भी शुरू किए गए हैं।

- एनएचएम के तहत डॉक्टरों की बहु-कौशल सहायता दी जाती है ताकि विशेषज्ञों की कमी को पूरी की जा सके । स्वास्थ्य संबंधी परिणामों में सुधार करने के लिए एनआरएचएम के अंतर्गत मौजूदा मानव संसाधन का कौशल उन्नयन एक अन्य प्रमुख कार्य नीति है।
